

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहका की ता
	..... बनाम ..... राम कल जालाशम मु.नं. 46/24 (F.D)	
26.11.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित / बाद गम्भीर रिपोर्ट अग्रर। पत्रावली वास्ते बरतलजज गम्भीर रिपोर्ट दिनांक 31.12.24 को पेश हो।	
	उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
31-12-24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्णानुसार दिनांक 30-1-25 को पेश हो।	
30-1-25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को वार-2 आवाज दिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली लम्बे समय से तलकी में लंघित है। प्रार्थी को वार-2 निर्देशों के बावजूद अनप्राथमिकता की तमीले तलकाना सम्मन पेश नहीं की जा रही है और प्रार्थी द्वारा निर्देशों को अचहेलना की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि पक्षकारान पत्रावली में कोई कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली पक्षकारान की शरम धजरी व शरम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली में दिनांक 11.7.2024 को जारी अन्तिम अस्थाई निषेधाज्ञा के तदनुसार सम्मन किया जा रहा है। पत्रावली फाइल शुमार होकर दाखिल इफ्तार हो।	
	उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	